कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 33 / 11 के0 वी0, उप संस्थान, क्वार्सी, रामघाट रोड, अलीगढ़।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**023 / 12, 14.03.2012**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 33 / 11 के0 वी0, उप संस्थान, क्वार्सी, रामघाट रोड, अलीगढ द्वारा दिनांक 14.03.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न वस्तु / सामग्री पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है :-

1. Low Voltage / High voltage Circuit Breaker
2. Spare part of Circuit Breaker
3. 33 KV, 11 KV High voltage & Low Voltage Fuse Set
4. All type of M.S. Clamps such as ‘ F ’ Clamps, L.T. Pin Clamps, Stay Clamps, D.P. Clamps, Eye Hook Clamps, Piercing Clamps, Cross Arms Clamps etc used at PCC Pole / Steel Tublor Poles.
5. H.T., L.T. Cable End Connectors made of brass / Aluminium
6. All type of P.G. Clamps made of Aluminium
7. 33 KV, 11 KV Cable Jointing Kit

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 12.06.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ द्वारा पत्र संख्या-73, दिनांक 12.04.2012 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि केवल क्रमांक-1 पर अंकित Low Voltage / High voltage Circuit Breaker ही उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II में वर्गीकृत है। शेष समस्त वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति करयोग्य हैं।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी के क्रमांक-271 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Winding wires and strips , ammeter, Kwh meter, voltmeter, Insulating materials,

insulator, jointing materials, Circuit breakers, HRC fuse, thermostat, Electrical relays and single phasing preventor and timers.

Circuit Breaker इस प्रविष्टि के अन्तर्गत वर्गीकृत है। शेष सभी वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची- I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं हैं। अत: शेष वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि Low Voltage / High voltage Circuit Breaker पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी के क्रमांक-271 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित वस्तुएं Spare part of Circuit Breaker, 33 KV, 11 KV High voltage & Low Voltage Fuse Set, All type of M.S. Clamps such as ‘ F ’ Clamps, L.T. Pin Clamps, Stay Clamps, D.P. Clamps, Eye Hook Clamps, Piercing Clamps, Cross Arms Clamps etc used at PCC Pole / Steel Tublor Poles., H.T., L.T. Cable End Connectors made of brass / Aluminium, All type of P.G. Clamps made of Aluminium एवं 33 KV, 11 KV Cable Jointing Kit उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची- I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं पायी गयीं। अत: इन वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्राथी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 17 जून, 2014 ह0 / 17.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।